UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

:05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1272 / 18mg दिनांकः 22/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/42523/2019)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/42523/2019 दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/132/2020/एफ0सी0/1585 दिनांक 20.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित हैः–

1– शर्त संख्या–1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2– शर्त संख्या–2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3, प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू0 6,06,931.00 (छः लाख छः हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 752/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–03)

5– शर्त संख्या–05 शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि0पि0(सि0) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिरनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू0 7,60,500.00 (रू0 सात लाख साठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि 0.90 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन0पी0बी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक–03)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–04)

6– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक–05)

7– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में "State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II, approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that on further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission ".शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शर्त संख्या–08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक–03)

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौंधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42 / 2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्रत मलवा नहीं फैंका जायेगा।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश / आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। तीन–तीन हार्ड प्रतियां कुल 5 पृष्ठ।

भवदीय

o/c

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
21/06/2021

पत्रांकः– 1272 / 18mg दिनांकः– 22/6/2021

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
21/06/2021

o/c

संलग्नक-1

UTTARAKHAND

नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 752/कैश्य   दिनांकः– 31/03/2021

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषयः– बैंकर्स चैक संख्या 179309 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना–ल्वेशाला–कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में इण्टर कॉलेज से प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरों तक मोटर मार्ग में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 13,67,431.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैकर्स चैंक सं0 179309 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मात्र (तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ इकतीस) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्नः– 1– बैंकर्स चैक संख्या 179303 दिनांक 30/03/2021 रू0 13,67,431.00 मूल में।
2– ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान – 03 प्रति में।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

o/c

Prachin Kalira MIR. संलग्नक-2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6142523828
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/132/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1367431/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Sixty-Seven Thousand Four Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	[illegible] Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Sr. 320 C
Date ....

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

संलग्नक-3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	**CA:** 631208/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 614952/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1246160/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 07 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dimondnotnawli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kaliro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	**CA:** 606931/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 760500/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1367431/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Feb 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 08 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112812321212EAY32dimonadnotpracheenkaliro.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828) Photo Copy attested Assistant Engineer Construction Division P.W.D., Nainital.
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	**CA:** 1153169/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1444950/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2598119/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Mar 2021 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3118123812193I1ICdemandnot.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

संलग्नक–4

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० विभाग
नैनीताल.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.

संलग्नक–5

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में मौना–ल्वेशाल कालापातल मोटर मार्ग के कि0मी0 से इन्टर कॉलेज व प्रा0पा0 होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.900 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 63 trees including 11 saplings होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेंडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।